

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 1575/2013

संस्थापन दिनांक 18.12.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड
म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—रामकिशन जाटव पुत्र पोहपसिंह जाटव उम्र 57 साल
 - 2—पानसिंह जाटव पुत्र जनवेद जाटव उम्र 45 साल
 - 3—सूरज जाटव पुत्र पानसिंह जाटव उम्र 19 वर्ष
 - 4—बृजेश जाटव पुत्र रामकिशन जाटव उम्र 20 साल
- निवासीगण ग्राम माहौ थाना मालनपुर जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 323/34 दो बार, 504 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 324/34 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 13.04.13 को 11 बजे के करीब ग्राम माहौ में सार्वजनिक स्थान पर फरियादी सुविधा जाटव अ0सा01 की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में आरोपी सूरज ने फरियादी सुविधा जाटव अ0सा01 की दांतों से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.04.13 को 11 बजे के करीब जब फरियादी सुविधा अ0सा01 ने रामकिशन से कहा कि तुम्हारी भैंसे हमारी दीवाल को फोड़ देती हैं उन्हें अलग बांधो इसी बात पर रामकिशन, पानसिंह, बृजेश, सूरज जाटव उसे गालियां देने लगे जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी पानसिंह, रामकिशन ने लात घूसों से उसकी मारपीट की तथा

सूरज ने उसकी पीठ में दाहिनी तरफ दांत से काट लिया जब उसका पति पातीराम अ0सा02 उसे बचाने आया तो आरोपी बृजेश ने पातीराम की भी लात घूंसों से मारपीट की तब विजय ने बीच बचाव कराया व घटना देखी। तत्पश्चात फरियादी सुविधा अ0सा01 की रिपोर्ट पर थाना एण्डोरी में अदम चैक प्र0पी-1 दर्ज किया गया जिस पर से अप0क्र0 82/13 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या घटना दिनांक 13.04.13 को 11 बजे के करीब ग्राम माहौ में सार्वजनिक स्थान पर आरोपीगण ने फरियादी सुविधा जाटव अ0सा01 की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में आरोपी सूरज ने फरियादी सुविधा जाटव अ0सा01 की दांतों से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. श्रीमती सुविधा अ0सा01 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानती है। तीन वर्ष पूर्व उसका और उसके पति पातीराम अ0सा02 का भैंस बांधने की बात पर विवाद हो गया था और गाली गलौच हुई थी तथा झूमा झटकी हुई थी जिसकी रिपोर्ट प्र0पी-1 उसने थाना मालनपुर में की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपीगण उसकी लात घूंसों से मारपीट की। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि सूरज ने उसकी पीठ में दाहिनी तरफ दांत से काट लिया था और इस आशय का तथ्य उल्लिखित होने पर भी रिपोर्ट प्र0पी-1 व कथन प्र0पी-3 में दिए जाने से इंकार किया है।
6. साक्षी पातीराम अ0सा02 ने भी इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी सूरज ने सुविधा अ0सा01 की पीठ में दाहिनी तरफ काट लिया था और इस आशय के तथ्य कथन प्र0पी-4 में दिए जाने से इंकार किया है।
7. उक्त दोनों आहत साक्षीगण सुविधा अ0सा01 व पातीराम अ0सा02 घटना के महत्वपूर्ण साक्षी हैं जिनके विरुद्ध अभियोजित घटना घटित हुई है। परन्तु उनके द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य में स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपी सूरज ने सुविधा अ0सा01 की पीठ में दांत से काटा था। अतः उक्त दोनों अभियोजन साक्षीगण द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 13.04.13 को 11 बजे के करीब ग्राम माहौ में सार्वजनिक स्थान पर फरियादी सुविधा जाटव अ0सा01 की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में आरोपी सूरज ने फरियादी सुविधा जाटव अ0सा01 की दांतों से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

8. परिणामतः आरोपीगण को धारा 324/34 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
9. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं आरोपी अभिरक्षा में नहीं रहा है।
10. प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

दिनांक :-

सही / -
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)